न्यायालय–उपजिलाधीश लालसोट, जिला–दौसा (राज0)

राजस्व वाद संख्याः–45 / 2024 : दिनांक रजू 13–05–2024

पीठ़ाशीन अधिकारी : नरेन्द्र मीना, आर.ए.एस.
उपखण्ड़ अधिकारी, लालसोट

संजय खींची पुत्र रमेश खींची उम्र 40 वर्ष, जाति खटीक निवासी ग्राम खेड़ली तहसील खटूम्बर जिला–अलवर (राज0)

(प्रार्थी)

बनाम्

राज0 सरकार जरिये तहसीलदार तहसील लालसोट।

(अप्रार्थी)

निर्णय

दिनांक 20/6/2024

उपस्थितः– प्रार्थी स्वयं उपस्थित

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थी ग्राम खेड़ली तहसील खटूम्बर जिला–अलवर का रहने वाला हैं तथा अनुसूचित जाति का सदस्य है। प्रार्थी की खातेदारी एवम् तन्हा आधिपत्य की कृषि भूमि ख0नं0 289 रकबा 10 बीघा जिसके हाल नवीन ख0नं0 845 / 289, ख0नं0 844 / 289 वाकै ग्राम टोडा ठेकला तहसील लालसोट जिला–दौसा मे स्थित हैं। उक्त भूमि प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड मे ख0नं0 289 रकबा 10 बीघा अंकित थीं। जिसके राजस्व नक्शा ट्रेस मे कोई तरमीम व बटा नम्बर अंकित नही थें। ख0नं0 289 रकबा 10 बीघा भूमि के नक्शासीट मे पूर्व मे कोई तरमीम या बटा नम्बर अंकित नही थें।

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज0

प्रार्थी का कब्जा लालसोट गंगापुर सडक के लगते ही था। वहां पर ही प्रार्थी शुरू से काबिज काश्त चला आ रहा है। परन्तु राजस्व एजेन्सी के कार्मिको द्वारा गलत तरीके से दौराने सेग्रीकेशन ग्राम टोडा ठेकला मे तरमीम का कार्य किया गया था। राजस्व एजेन्सी के कर्मचारियों द्वारा प्रार्थी की खातेदारी के रकबे 10 बीघा के बटा नम्बरा 651/289 कायम कर दिए तथा उसके जरिए शुद्धि पत्र संख्या 6 दिनांक 20–09–2019 के तहत ख0नं0 289 के दो टुकडे कर ख0नं0 845/289 रकबा 6 बीघा व ख0नं0 844/289 रकबा 4 बीघा कर राजस्व नक्सा सीट मे 6 बीघा को तो सडक के लगते ही कायम कर दिया तथा 4 बीघा दो खेत दूर स्थापित कर दिया। उक्त तरमीम राजस्व एजेन्सी द्वारा गलत तरीके से कायम की है। जो मौके अनुसार नहीं हैं। प्रार्थी के हिस्से की भूमि लालसोट गंगापुर रोड के दक्षिण दिशा मे लगते ही है। परन्तु अप्रार्थी के अधीनस्थ कर्मचारियों पटवारी हल्का व गिरदावर सर्किल ने प्रार्थी को बिना सूचित किए मौके से भिन्न जाकर प्रार्थी के रकबे 10 बीघा के दो टुकडे कर दिए जिसमे ख0नं0 845/289 रकबा 6 बीघा सडक के लगते कायम कर दिया तथा ख0नं0 844/289 रकबा रकबा 4 बीघा 2 खेत दूर कायम कर दिया। जबकि प्रार्थी का कब्जा उस जगह पर नहीं हैं। प्रार्थी का सम्पूर्ण रकबा सडक के लगते है। अप्रार्थी के मातहत कर्मचारियों ने गलत तरमीम कर नक्सासीट मे गडबड की है। जो काबिले दुरूस्ती हैं। इस गलत तरमीम का प्रार्थी को जब दिनांक 18–03–2024 को पता चला तब पटवारी पटवारी हल्का से सत्यप्रति नक्शा ट्रेस व जमाबंदी की नकल लेकर तहसीलदार लालसोट से इस गलत तरमीम को शुद्ध करने का निवेदन किया तो अप्रार्थी द्वारा धारा 136 एल.आर. एक्ट के तहत तरमीम को दुरूस्त करवाने की कानूनी सलाह देने पर यह प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिमी आया हैं। न्यायहित मे ख0नं0

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०)

289 रकबा 10 बीघा की तरमीम को मौके अनुसार ख0नं0 845/289 के लगते ही सम्पूर्ण रकबा एकजाई कायम किया जाना जरूरी हैं। इस आशय का अनुतोष यांचित किया गया हैं।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थी जरिये सम्मन की गई। अप्रार्थी तहसीलदार से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई। जो शामिल मिसल की गयी। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 06-06-2024 को रखी गई। न्यायालय मे बावजूद पर्याप्त तामिल होने पर भी उपस्थित नही आने पर उसके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई।

बहस प्रार्थी एकतरफा सुनी गई। पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजात कि प्रार्थी की खातेदारी एवम् तन्हा आधिपत्य की कृषि भूमि ख0नं0 289 रकबा 10 बीघा जिसके हाल नवीन ख0नं0 845/289, ख0नं0 844/289 वाकै ग्राम टोडा ठेकला तहसील लालसोट जिला-दौसा मे स्थित हैं। उक्त भूमि प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड मे ख0नं0 289 रकबा 10 बीघा अंकित थीं। जिसके राजस्व नक्शा ट्रेस मे कोई तरमीम व बटा नम्बर अंकित नही थें। ख0नं0 289 रकबा 10 बीघा भूमि के नक्शासीट मे पूर्व मे कोई तरमीम या बटा नम्बर अंकित नही थें। प्रार्थी का कब्जा लालसोट गंगापुर सडक के लगते ही था। वहां पर ही प्रार्थी शुरू से काबिज काश्त चला आ रहा है। परन्तु राजस्व एजेन्सी के कार्मिको द्वारा गलत तरीके से दौराने सेग्रीकेशन ग्राम टोडा ठेकला मे तरमीम का कार्य किया गया था। राजस्व एजेन्सी के कर्मचारियों द्वारा प्रार्थी की खातेदारी के रकबे 10 बीघा के बटा नम्बरा 651/289 कायम कर दिए तथा उसके जरिए शुद्धि पत्र संख्या 6 दिनांक 20-09-2019 के तहत ख0नं0

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज0)

289 के दो टुकडे कर ख0नं0 845/289 रकबा 6 बीघा व ख0नं0 844/289 रकबा 4 बीघा कर राजस्व नक्सा सीट मे 6 बीघा को तो सडक के लगते ही कायम कर दिया तथा 4 बीघा दो खेत दूर स्थापित कर दिया। उक्त तरमीम राजस्व एजेन्सी द्वारा गलत तरीके से कायम की है। जो मौके अनुसार नहीं हैं। प्रार्थी के हिस्से की भूमि लालसोट गंगापुर रोड के दक्षिण दिशा मे लगते ही है। परन्तु अप्रार्थी के अधीनस्थ कर्मचारियों पटवारी हल्का व गिरदावर सर्किल ने प्रार्थी को बिना सूचित किए मौके से भिन्न जाकर प्रार्थी के रकबे 10 बीघा के दो टुकडे कर दिए जिसमे ख0नं0 845/289 रकबा 6 बीघा सडक के लगते कायम कर दिया तथा ख0नं0 844/289 रकबा रकबा 4 बीघा 2 खेत दूर कायम कर दिया। जबकि प्रार्थी का कब्जा उस जगह पर नहीं हैं। प्रार्थी का सम्पूर्ण रकबा सडक के लगते है। अप्रार्थी के मातहत कर्मचारियों ने गलत तरमीम कर नक्सासीट मे गडबड की है। जो काबिले दुरूस्ती हैं। इस गलत तरमीम का प्रार्थी को जब दिनांक 18–03–2024 को पता चला तब पटवारी पटवारी हल्का से सत्यप्रति नक्शा ट्रेस व जमाबंदी की नकल लेकर तहसीलदार लालसोट से इस गलत तरमीम को शुद्ध करने का निवेदन किया तो अप्रार्थी द्वारा धारा 136 एल.आर. एक्ट के तहत तरमीम को दुरूस्त करवाने की कानूनी सलाह देने पर यह प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिमी आया हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात व साक्ष्य प्रार्थी के विखण्ड़न मे ऐसा कोई दस्तावेजात पत्रावली मे नही होने के कारण प्रार्थी के अभिवचन पर अविश्वास किए जाने का कोई कारण प्रकट नही होता हैं। लिहाजा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र को प्रार्थी के हक मे स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

...ण्ड अधिकारी
...ोट जिला दौसा (राज०)

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार लालसोट को आदेश दिया जाता है कि नक्शा ट्रेस में अंकित ख0नं0 844/289 की तरमीम को दुरूस्त कर ख0नं0 845/289 के समीप ख0 नं0 774/289 के स्थान पर कायम की जावे तथा ख0नं. 774/289 को ख0नं. 844/289 के स्थान पर सेग्रीगेशन से पूर्व की स्थिति के अनुसार कायम किया जाकर राजस्व नक्शा ट्रेस में शुद्धिकरण किया जावे। इस आशय की तहरीर पालनार्थ तहसीलदार लालसोट को जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो।

नरेन्द्र कुमार मीना आर.ए.एस

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी

लालसोट

लालसोट जिला दौसा